17/3/2025 पत्रावली पेश हुई। अधि. उप. / प्रार्थी की ओर से
फॉर्म नं. 3 के साथ लिखित बहस पेश की
गई। एवं पारिवारिक न्यायालय संख्या 01
का आदेश दिनांक 16/11/2022 की डिक्री पेश
की जा चुकी है। प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र
अन्तर्गत धारा 212 RTA के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अस्वीकार किया जाकर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 25/07/2023 को खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 94 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023 / 281

किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक 17.03.2025

1. गौरी पुत्री थानसिंह नाबालिग बली सरपरस्त माता खुद दीपा पत्नी स्व. थानसिंह जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)। **प्रार्थीया**

बनाम

1. कुन्दन पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)।
2. पदमसिंह पुत्र कुन्दन जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)।
3. राजवीर पुत्र कुन्दन जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)।
4. गुडडी पुत्री कुन्दन जाति जाट निवासी नदबई हाल निवासी जौघेला तहसील कुम्हेर (भरतपुर)।
5. सुशीला पुत्री कुन्दन जाति जाट निवासी नदबई हाल निवासी हींगोली तहसील कुम्हेर (भरतपुर)।
6. पूरन पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)।
7. आशा पुत्री पदमसिंह जाति जाट निवासी नदबई हाल निवासी खेडी देवीसिह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. ऊषा पुत्री पदमसिंह जाति जाट निवासी नदबई हाल निवासी खेडी देवीसिह तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सुषमा पुत्री पदमसिंह जाति जाट निवासी नदबई हाल निवासी बरैठा जिला भरतपुर।
10. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई
11. सबरजिस्ट्रार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री प्रेमचंद शर्मा एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एडवो0 (अप्रार्थीगण की ओर से)

:: **निर्णय**:: प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत् पेश किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है–

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि आराजी खाता संख्या 894 के खसरा नंबरान 4546/1434 रकबा 0.22, 4549/1436 रकबा 0.11 किता 2 रकबा 0.33, खाता संख्या 110 के खसरा नंबरान 1437 रकबा 0.29, 1438 रकबा 0.28, 1439 रकबा 0.28, 1440 रकबा 0.28, 1441 रकबा 0.23 किता 5 रकबा 1.36 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। तथा खाता संख्या 58 के आराजी खसरा नंबरान 4433/3832 रकबा 0.09, 4434/3841 रकबा 0.26, 4436/3850 रकबा 0.32 किता 3 रकबा 0.67 है0, खाता संख्या 59 के आराजी खसरा नंबरान 3827 रकबा 0.28, 3828 रकबा 0.29, 3834 रकबा 0.11, 3835 रकबा 0.01, 3836 रकबा 0.10 किता 5 रकबा 0.79 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 व प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 13 की पैतृक आराजी हैं। सजरा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार है।
4. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 प्रार्थना पत्र की आराजी संख्या 2028 में मृतक रामजीलाल के नामदर्ज है जो प्रार्थीया का पूर्वज है। अप्रार्थी संख्या 1 कुन्दन मृतक रामजीलाल का पुत्र है। व प्रार्थीया के बाबा पदमसिंह का पिता है। प्रार्थीया का पिता थानसिंह फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 जो कुन्दन के दूसरे पुत्र रामभरोसी के वारिसान है, की आराजी से प्रार्थीया का कोई संबंध सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के बाबा के पिता के दो पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 पदमसिंह व राजवीर है। तथा दो पुत्री अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 गुडडी व सुशीला ह। अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया का सगा बाबा है। उसमें दो पुत्र अप्रार्थी संख्या 6 पूरन व दूसरा प्रार्थीया का पिता मृतक थानसिंह था तथा तीन पुत्रियां अप्रार्थीगण संख्या 7, 8, 9 आशा, ऊषा व सुषमा है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी पैतृक आराजी है। जिस पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 व प्रतिवादीगण संख्या

10 लगायत 13 का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। तथा विवादित आराजी पर प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से मनवट के अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। लेकिन प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीया के बाबा अप्रार्थी संख्या 02 के पिता है। तथा प्रार्थीया के सगे बाबा जो अप्रार्थी संख्या 2 है, के वाहिद इन्द्राजात खातेदारी में चले आ रहे हैं जिससे प्रार्थीया के अधिकारों पर विपरीत असर पडता है। अप्रार्थी संख्या 1 जो प्रार्थीया के बाबा के पिता है। व अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थीया के सगे बाबा है। जिसके हक व हिस्से की आराजी पर प्रार्थीया अपने नाम हिस्से मुताबिक खातेदारी कराने के मुश्तहक है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 वाहिद इन्द्राजात खातेदारी में चले आ रहे है वाहिद इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन किया जाकर प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी मुतदाबिया में मुताबिक रिकॉर्ड मुताबिक हिस्सा अपने नाम खातेदारी काश्तकारी अंकित करा पाने की अधिकारी है।

6. यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व 3 लगायत 9 ने दिनांक 05.08.2023 को वमुकाम कस्बा नदबई पर एलानियां धमकी दी कि उक्त विवादित आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को रहनवयमुन्तकिल कर देंगे जबकि ऐसा करने का अप्रार्थीगणों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने की अधिकारी है कि वह विवादित आराजीयात में मदाखलत मजाहमत न करे रहनवयमुन्तकिल न करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 की तरफ से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये, प्रार्थीगण कुन्दन, पदमसिंह एवं राजवीर द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 आंशिक स्वीकार है। जिसमें कामयाब की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 की आराजीयात वाके ग्राम नदबई तहसील नदबई में स्थित होना स्वीकार है।
3. यह कि मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र का सजरा स्वीकार है।

4. यह कि मद संख्या 4 स्वीकार नहीं है।

5. यह कि मद संख्या 5 जिस प्रकार वर्णित की है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया को जरिए बली माता दीपा ने उक्त आराजी के निहित अपने हिस्से की आराजीयात की कीमत पूर्व में ही ले चुकी है। तथा एकमुश्त राशि प्राप्त कर चुकी है। अन्य कोई बकाया नहीं है। तथा पूर्ववर्ती दावा गौरी बनाम कुन्दन मु0 नं0 81/18 पूर्व में पेश किया गया था जो कि वादिनी द्वारा वापिस ले लिया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण काबिल खारिजी के है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.08.23 को कोई धमकी नहीं दी है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

7. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण गौरी बनाम कुन्दन मु0 नं0 81/18 इन्ही खसरा नंबरान के बीच इसी समान आराजीयात पर समान रिलीफ के साथ प्रस्तुत किया गया जिसमें दौराने दावा प्रार्थीया के पति मृतक थानसिंह व प्रार्थीया के बीच सहमति से एक याचिका अंतर्गत धारा 13 बी. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय भरतपुर में मु0नं0 12/22 प्रस्तुत की गई जिसमें याचिका की मद संख्या 8 में गौरी प्रार्थीया का यह कथन रहा कि प्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी संख्या 1 से अपनी व अपनी पुत्री गौरी के भावी भरण पोषण की एकमुश्त राशि 10 लाख रूपए स्थायी निर्वाह भत्ता हेतु नकद प्राप्त कर लिए हैं। अब भविष्य में प्रार्थी संख्या 2 व उसकी पुत्री गौरी प्रार्थी संख्या 1 से कोई भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। और यदि इसके बाबजूद भी यह कोई प्रार्थना पत्र भरण पोषण के संबंध में प्रार्थी संख्या 1 की पैतृक व स्वअर्जित चल अचल संपत्ति के संबंध में न्यायालय में पेश करती है तो उसे झूंठा माना जाएगा आगे याचिका की मद संख्या 9 में लाईन संख्या 5 लगभग अंत तक यह कथन है कि प्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध दहेज का मुकदमा अंतर्गत धारा 498ए, 406 ता.हि. व खर्चे का मुकदमा अंतर्गत धारा 125 जा0फौ0 न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नदबई के समक्ष

विचाराधीन है। उक्त सभी मुकदमों को प्रार्थीगण पारस्परिक सहमति के आधार पर उक्त याचिका में तलाक की डिक्री पारित होने से पूर्व समाप्त करा लेंगे। एवं भविष्य में एक दूसरे व उसके परिवारजन के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं करेंगे। अतः जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी खाता संख्या 894 व 110 वाके कस्बा नदबई प्रथम व खाता संख्या 58 व 59 वाके कस्बा नदबई द्वितीय, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके नदबई प्रथम, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके नदबई द्वितीय, नकल जमाबंदी खाता संख्या 252 व 312 संवत 2028 वाके नदबई तहसील नदबई एवं लिखित बहस तथा श्रीमान पारिवारिक न्यायालय महोदय, भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.11.2022 की नकल पेश की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव के समर्थन में नकल दावा उनवानी गौरी बनाम कुन्दन मु0नं0 81/18 मय समस्त ऑर्डरशीट, नकल याचिका धारा 13 बी. न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय, भरतपुर पेश किए गए।

हमने उभयपक्षकारान के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी वकील की ओर से अपने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित एवं मौखिक बहस के दौरान कथन रहे कि वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया गया है जिसमें विवादित आराजी वाके कस्बा नदबई प्रथम एवं द्वितीय में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पैतृक आराजी है। उक्त आराजी को अप्रार्थी कुन्दन विक्रय करना चाहते हैं। इस दावे से पूर्व एक दावा भी पेश किया गया जो कि इस दावे से भिन्न खसरा नंबरों पर लाया गया था। प्रार्थीया एवं उसकी माता को भरण पोषण एवं स्थायी निर्वाह भत्ता हेतु जो 10 लाख रूपए प्रदान किए गए थे वह राजस्व भूमि की एवज में प्रदान नहीं किए गए थे।

अप्रार्थी अधिवक्ता के मौखिक बहस के दौरान कथन रहे कि गौरी की माता एवं पिता के मध्य सहमति से तलाक की डिक्री धारा 13 बी. हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत श्रीमान पाारिवारिक न्यायालय महोदय, भरतपुर से पारित हुई जिसमें एकमुश्त 10 लाख रूपए भरण पोषण हेतु एवं पैतृक व स्वअर्जित चल अचल संपत्ति के संबंध में भविष्य में कोई वाद पेश नहीं करने हेतु दिए गए। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रार्थीया की माता द्वारा पेश किया गया कि सभी न्यायालयों में लंबित वाद वापस लेंगे तथा अपने हिस्से की राशि ले ली गई है। इस प्रकार उक्त बिन्दु अप्रार्थीगण के हक में साबित हैं।

उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की लिखित एवं मौखिक बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तो पाया कि–

1. **प्राईमाफेसी केस** :– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत अपने वाद पत्र 88,89,188 के तहत् खातेदारी अधिकार की घोषणा के संबधं में किया गया। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजी आराजी खाता संख्या 894 के खसरा नंबरान 4546/1434 रकबा 0.22, 4549/1436 रकबा 0.11 किता 2 रकबा 0.33, खाता संख्या 110 के खसरा नंबरान 1437 रकबा 0.29, 1438 रकबा 0.28, 1439 रकबा 0.28, 1440 रकबा 0.28, 1441 रकबा 0.23 किता 5 रकबा 1.36 है0 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। तथा खाता संख्या 58 के आराजी खसरा नंबरान 4433/3832 रकबा 0.09, 4434/3841 रकबा 0.26, 4436/3850 रकबा 0.32 किता 3 रकबा 0.67 है0, खाता संख्या 59 के आराजी खसरा नंबरान 3827 रकबा 0.28, 3828 रकबा 0.29, 3834 रकबा 0.11, 3835 रकबा 0.01, 3836 रकबा 0.10 किता 5 रकबा 0.79 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। चूंकि प्रार्थीया नाबालिग गौरी बली माता दीपा एवं प्रार्थीया के पिता के मध्य सहमति से एक याचिका अंतर्गत धारा 13 बी. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय श्रीमान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय भरतपुर में मु0नं0 12/22 प्रस्तुत की गई जिसमें प्रार्थीया की माता एवं पिता के मध्य विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 16.11.2022 को पारित की गई। उक्त डिक्री व निर्णयानुसार प्रार्थीया की बली सरपरस्त माता द्वारा प्रार्थीया व स्वयं के भरण

पोषण हेतु एकमुश्त राशि 10 लाख रूपए प्राप्त कर लिए हैं। प्रार्थीया वर्तमान में नाबालिग है जिस कारण प्रार्थीया गौरी के हित बली सरपरस्त माता दीपा में निहित हैं। नाबालिग होने के कारण प्रार्थीया को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है उसके समस्त अधिकारों की संरक्षक माता दीपा है एवं विवाह विच्छेद की डिक्री अनुसार भरण पोषण एवं स्थायी निर्वाह भत्ता हेतु प्रार्थीया की माता ने एकमुश्त राशि पूर्व में ही प्राप्त कर ली है ताकि नाबालिग होने की स्थिति में प्रार्थीया के भरण पोषण आदि में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो तथा याचिका में भी प्रार्थीया की माता ने भरण पोषण एवं निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पश्चात् स्वअर्जित चल अचल संपत्ति के संबंध में कोई भी बाद भविष्य में पेश नहीं किए जाने हेतु निवेदन किया था। इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजीयात में वर्तमान में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं होता है। अतः प्राईमाफेसी केस प्रार्थीया के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के हक में है । अप्रार्थी वर्तमान में खातेदार है। अतः सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित है।

2. **अपूर्ण क्षति** – अप्रार्थीगण एक रिकॉर्डेड खातेदार है अगर उक्त स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो अपने खातेदारी अधिकारो का कुठारघात होगा जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्राथीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अस्वीकार किया जाकर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 25.08.2023 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, लदबई